<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–53/2019</u>

ओंकारेश्वर उर्फ अखिलेश कुमार तिवारी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

लालसा देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
01.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 10.12.2020 के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 10.12.2020 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 10.12.2020 में कहा गया है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद न0–01 में दी गयी भूमि के बंटवारे हेतु लाया गया है। मद न0–01 की भूमि में वादी का 1/2 अंश है। वादग्रस्त भूमि नगीना मिश्रा को अपने भाईयों के साथ हुये मौखिक बंटवारे से प्राप्त है। वादीगण और प्रतिवादी सं0–01 नगीना मिश्रा के विधिक वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त दखल कब्जा है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0–01 के बीच कोई बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादी सं0–02 प्रतिवादी सं0–01 के भाई का पुत्र है। प्रतिवादी सं0–02 के द्वारा एक अवैध जाली तथा शुन्य बक्श्शीशनामा दिनांक 07.06.2008 प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा किया जाना दर्शाया है। प्रतिवादी सं0–01 वादपत्र के मद न0–01 में दी गयी भूमि में से कीमती भूमि को कुछ व्यक्तियों को हस्तांतरण कर रही है। जिससे की वादी को उसके हिस्से से वंचित किया जा सके। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की संपत्ति है। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सं0–01 के बीच कोई बंटवारा नही हुआ है। इसलिए प्रतिवादी सं0–01 वादग्रस्त भूमि को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित नही कर सकती है। परंतु प्रतिवादी सं0–01 लगातार वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित करने की धमकी दे रही है। वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का तुला है। अतः वादीगण के पक्ष में निषेधाज्ञा दिया जाना आवश्यक है। अगर वादग्रस्त भूमि को संरक्षित नही किया गया तो इससे वाद की बहुलता बढने की संभावना है तथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादीगण का आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दिनांक 27.10.2021	

लगातार 01.11.2022	को अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादी द्वारा दाखिल आवेदन को कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से खारिज करने योग्य बताया गया। प्रतिवादी सं0–01 एवं नगीना मिश्रा के वैवाहिक जीवन से एक मात्र पुत्री सरिता देवी का जन्म हुआ था। जिसकी शादी वादी सं0–01 के साथ की गयी थी। वादी सं0–01 अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है। जिसने सरिता देवी को जहर खिलाकर मार दिया तथा संपत्ति हडपने की नियत से यह झुठा मुकदमा किया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के आलोक में वादी सं0–01 का कोई हक व हिस्सा वादग्रस्त भूमि में नही है। वादी सं0–02 शिशु राज खुद प्रतिवादी सं0–01 के साथ रह कर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहा है। प्रतिवादी सं0–01 काफी वृद्ध महिला है। जो अपना जीवन यापन तथा वादी सं0–02 शिशु राज की शिक्षा दीक्षा एवं जीवन यापन का खर्च वहन करती है। वादी को प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा का तुला हासिल नही है। अगर वादी का आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो वादी को कोई अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नही है। अतः वादी का आवेदन विशेष खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा वादपत्र की मद न0–01 में दी गयी भूमि के बंटवारे हेतु लाया गया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ? प्रस्तुत वाद वादी सं0–01 के द्वारा अपने तथा अपने अव्यस्क पुत्र शिशु राज तिवारी की ओर से वादपत्र की मद न0–01 में दी गयी भूमि के बंटवारे हेतु लाया गया है। वादी सं0–01 प्रतिवादी सं0–01 का दामाद है तथा वादी सं0–02 प्रतिवादी सं0–01 की पुत्री का पुत्र है। वादी सं0–01 के द्वारा वादपत्र के मद न0–01 में दी गयी वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त दखल कब्जा बताया गया है। जबकि प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा बताया गया है कि वादी सं0–01 ने प्रतिवादी सं0–01 की पुत्री	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद सं0–53/2019</u>

लगातार 01.11.2022	सरिता देवी को जहर खिलाकर मार दिया था। तभी से वादी सं0–02 प्रतिवादी सं0–01 के साथ रह रहा है। उस समय वादी सं0–02 की उम्र मात्र 01 वर्ष की थी। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं0–01 का दखल कब्जा है। वादी सं0–01 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर दखल कब्जा नही रहा है। अभिलेख पर वादी सं0–01 के द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज दाखिल नही किया गया है। जिससे प्रतीत होता हो कि प्रतिवादी सं0–01 भूमि का हस्तांतरण करने की धमकी दे रही है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में होना दर्शित नही होता है। सुविधा का तुला भी वादी सं0–01 के पक्ष में नही है। अतः वादी सं0–01 को अपूर्णीय क्षति होने की कोई संभावना नही है। वादी का आवेदन दिनांक 10.12.2020 को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 20.12.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	